

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1-ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)()वि.यो./19/ 2241

जयपुर, दिनांक : 15-5-19

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) की अनुपालना में निदेशालय विशेष योग्यजन एवं निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नानुसार नियुक्ति किए जाते हैं:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी का पद	प्रथम अपील अधिकारी का पद
1	निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।	अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
2	आयुक्तालय विशेष योग्यजन, जयपुर।	उपायुक्त, आयुक्तालय विशेष योग्यजन, जयपुर।	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
3	जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा।	जिला पुनर्वास अधिकारी, कोटा।	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
4	मानसिक विमंदित एवं पुनर्वास गृह(बालक विंग), जामडोली, जयपुर।	अधीक्षक, मानसिक विमंदित एवं पुनर्वास गृह(बालक विंग)।	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
5	मानसिक विमंदित एवं पुनर्वास गृह(बालिका विंग), जामडोली, जयपुर।	अधीक्षक, मानसिक विमंदित एवं पुनर्वास गृह(बालिका विंग)।	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।

(वीरेन्द्र सिंह बांकावत)
निदेशक

एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक 15-5-19

क्रमांक: एफ 16(i)()वि.यो./19/ 2242-45
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर / उपायुक्त, आयुक्तालय विशेष योग्यजन, जयपुर / जिला पुनर्वास अधिकारी, कोटा / अधीक्षक, मानसिक विमंदित एवं पुनर्वास गृह(बालक विंग) / (बालिका विंग)।
4. कार्यालय आदेश पत्रावली।

(वीरेन्द्र सिंह बांकावत)
निदेशक

एवं संयुक्त शासन सचिव